रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 26, 2013/फाल्गुन 7, 1934
No. 35] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 26, 2013/PHALGUNA 7, 1934

गृह मंत्रालय

(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2013

सं. 47-31/2012-डी एम-III.—1. सुनियोजित प्रयासों के द्वारा आपदाओं के प्रभाव को कम करने की आवश्यकता को पूरे विश्व की सरकारों की मान्यता तथा प्रतिबद्धता प्राप्त हो रही है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण का विकास एक महत्वपूर्ण मुद्दा है । इसके लिए राजनैतिक एवं विधिक प्रतिबद्धता, वैज्ञानिक ज्ञान, विकास की योजना सावधानीपूर्वक तैयार किए जाने, प्रौद्योगिकी के प्रयोग, विधि प्रवर्तन, सामुदायिक भागीदारी, पूर्व चेतावनी प्रणालियों तथा प्रभावी आपदा तैयारी और कार्रवाई तंत्रों की आवश्यकता होती है । निवारण की संस्कृति विकसित करने के लिए समर्थकारी वातावरण तैयार करने और विभिन्न क्षेत्रों में विकास की योजना में आपदा प्रबंधन के समावेश को सुगम बनाने के ठोस उपाय करने की आवश्यकता है । अत: यह वांछनीय है कि केन्द्र और राज्य सरकारों, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में शामिल स्टेकहोल्डरों तथा इस क्षेत्र में विभिन्न हितों वाले लोगों को आपदा प्रबंधन में निर्णय करने की एक भागीदारी प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए जिससे न केवल पूरे देश में आपदा प्रबंधन ढांचा और संस्थान सुदृढ़ होंगे बल्कि इससे हमारी शासन प्रणाली का संघीय ढांचा भी मजबूत होगा ।

2. तद्नुसार भारत सरकार ने एक बहु-पणधारी राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंच (एन पी डी आर आर) का गठन करने का निर्णय लिया है। इस राष्ट्रीय मंच के सदस्यों की सूची अनुलग्नक-1 पर दी गई है ।

3. राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंच (एन पी डी आर आर) के कार्य निम्नलिखित होंगे —

(क) आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में समय-समय पर की गई प्रगति की समीक्षा करना ।

(ख) यह मूल्यांकन करना कि केन्द्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा आपदा प्रबंधन नीति को किस सीमा तक तथा किस तरीके से कार्यान्वित किया गया है तथा इस मामले में उपयुक्त सलाह देना ।

ग) आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विकास के बारे में केन्द्र और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, राज्य सरकारों, स्थानीय सरकारों तथा सिविल समाज के संगठनों के बीच समन्वय के संबंध में सलाह देना।

घ) आपदा प्रबंधन से संबंधित किसी प्रश्न के बारे में स्वत: अथवा केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से संदर्भ प्राप्त होने पर सलाह देना।

ङ) आपदा प्रबंधन नीति की समीक्षा करना।

4. इन कार्यों के निर्वहन के लिए यह मंच (प्लेटफार्म)

क) किसी सरकारी संस्थान, किसी अन्य संगठन अथवा किसी व्यक्ति से सूचना और टिप्पणियां मांग सकता है।

ख) इस मंच के सदस्यों तथा/अथवा यथा आवश्यक अन्य लोगों को शामिल करके समितियों अथवा समूहों का गठन करना।

ग) किसी ऐसे विशिष्ट मुद्दे, जिस पर इस मंच (प्लेटफार्म) अथवा इसकी किन्हीं समितियों अथवा समूहों द्वारा ध्यान देना अपेक्षित हो, पर केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से अध्ययन, शोध करना अथवा रिपोर्टें तैयार करना।

5. क) कार्यकाल :

इस मंच (प्लेटफार्म) का कार्यकाल इस संकल्प की अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष का होगा।

ख) आकस्मिक रिक्तियां :

(i) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की सभी आकस्मिक रिक्तियां उस प्राधिकारी अथवा निकाय द्वारा भरी जाएंगी जिसने उन सदस्यों, जिनके स्थान रिक्त हैं, को नामित किया था अथवा चुना था।

(ii) आकस्मिक रिक्ति पर नामित अथवा चुना गया व्यक्ति उतने शेष कार्यकाल तक इस मंच (प्लेटफार्म) का सदस्य रहेगा जब तक वह सदस्य, जिसके स्थान पर वह नियुक्त होता है, सदस्य रहा होता।

ग) बैठक :

इस मंच की हर वर्ष कम से कम एक बैठक होगी तथा इस मंच की दो क्रमिक बैठकों के बीच दो वर्ष से अधिक का अन्तराल नहीं होगा।

घ) कार्यसूची (एजेंडा) :

(i) बैठक की कार्यसूची (एजेंडा), व्याख्यात्मक ज्ञापन तथा कार्यवाही का रिकॉर्ड/कार्यवृत्त गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग) द्वारा तैयार किए जाएंगे तथा इन्हें परिचालित किया जाएगा।

(ii) कार्यसूची तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन सभी सदस्यों को इस मंच की बैठक की तारीख से साधारणत: कम से कम 10 दिन पूर्व परिचालित किए जाएंगे।

ङ) प्रक्रिया :

ऐसे मामलों, जिनके बारे में ऊपर व्यवस्था नहीं की गई है, के संबंध में मंच अपनी स्वयं की प्रक्रियाएं अपनाएगा।

च) सामान्य :

इस मंच की कोई भी कार्यवाही मात्र प्रक्रिया संबंधी दोष अथवा सदस्यता की किसी श्रेणी के अन्तर्गत रिक्ति के आधार पर अवैध नहीं होगी।

ए. के. मंगोत्रा, सचिव

अनुलग्नक-I

राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंच (एन पी डी आर आर) की संरचना

1. **अध्यक्ष**

केन्द्रीय गृह मंत्री

2. **उपाध्यक्ष**

उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

3. **भारत सरकार के प्रतिनिधि**

I. रक्षा मंत्री

II. वित्त मंत्री

III. विदेश मंत्री

IV. कृषि मंत्री
V. मानव संसाधन विकास मंत्री
VI. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
VII. शहरी विकास मंत्री
VIII. ग्रामीण विकास मंत्री
IX. पर्यावरण एवं वन मंत्री
X. जल संसाधन मंत्री
XI. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री
XII. पृथ्वी-विज्ञान मंत्री
XIII. महिला एवं बाल विकास मंत्री
XIV. खान मंत्री
XV. पंचायती राज मंत्री
XVI. उपाध्यक्ष, योजना आयोग

4. **राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रतिनिधि**

प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र में आपदा प्रबंधन विषय को देख रहे मंत्री

5. **स्थानीय स्व-सरकारों के प्रतिनिधि**

I. दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई के मेयर
II. शहरी स्थानीय निकायों के पाँच अध्यक्ष (शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मनोनीत किए जाएंगे)
III. पंचायत राज संस्थानों के पाँच प्रतिनिधि (पंचायत राज मंत्रालय द्वारा मनोनीत किए जाएंगे)

6. **संसद के प्रतिनिधि**

I. लोक सभा से चार संसद सदस्य (अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाएंगे)
II. राज्य सभा से दो संसद सदस्य (सभापति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे)

7. **पदेन सदस्य**

I. केन्द्रीय गृह सचिव
II. सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग
III. अध्यक्ष, इसरो
IV. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
V. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड

VI. अध्यक्ष, भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
VII. अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग
VIII. अध्यक्ष, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण
IX. सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
X. महानिदेशक, एन डी आर एफ और सी डी
XI. महानिदेशक, नागर विमानन
XII. महानिदेशक, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन
XIII. महानिदेशक, भारतीय मौसम विभाग
XIV: महानिदेशक, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण

8. **राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के प्रमुख**

I. निदेशक, वाडिया इन्स्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून
II. निदेशक, गेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, नोएडा
III. निदेशक, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रूड़की
IV. निदेशक, नेशनल सेंटर फॉर ओशियनिक इन्फार्मेशन सर्विसेज़, हैदराबाद
V. निदेशक, सेन्टर फॉर स्नो एंड एवलांच स्टडी इस्टैब्लिशमेंट, चंडीगढ़
VI. निदेशक, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर
VII. निदेशक, राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय, नागपुर
VIII. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, नई दिल्ली के अंतर्गत मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर
IX. कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली
X. कार्यकारी निदेशक, भवन सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद

9. **उद्योग जगत का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति**

I. महानिदेशक, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नई दिल्ली
II. अध्यक्ष, कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, नई दिल्ली
III. अध्यक्ष, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नई दिल्ली

10. **मीडिया प्रतिनिधि**

I. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती
II. प्रधान महानिदेशक, पत्र सूचना ब्यूरो
III. अध्यक्ष, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया
IV. टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि
V. एन डी टी वी के प्रतिनिधि
VI. हिन्दुस्तान के प्रतिनिधि

781 GI/13-2

11. **सिविल समाज संगठनों के प्रतिनिधि**

I. रामाकृष्ण मिशन, कोलकाता
II. इंडियन रेड क्रास सोसायटी, नई दिल्ली
III. सीड्स इंडिया, नई दिल्ली
IV. स्फीयर इंडिया, नई दिल्ली
V. फिलैन्थ्रोपे, नई दिल्ली

12. **अन्तरराष्ट्रीय प्रतिनिधि**

I. यू एन रेजीडेंट कॉर्डिनेटर, नई दिल्ली
II. यू एन डी पी कन्ट्री डायरेक्टर, नई दिल्ली
III. यू एन आई एस डी आर के प्रतिनिधि
IV. कंट्री डायरेक्टर, विश्व बैंक
V. एशियाई विकास बैंक के प्रतिनिधि

13. **अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य विशेष आमंत्रिती**

14. **संयोजक**

सचिव (सीमा प्रबंधन), गृह मंत्रालय

* * * *

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DISASTER MANAGEMENT DIVISION)

RESOLUTION

New Delhi, the 26th February, 2013

No. 47-31/2012-DM-III.—1. The need to reduce the impact of disasters by means of systemic efforts has been gaining recognition and commitment among Governments, worldwide. Disaster Risk Reduction is a cross cutting development issue. It requires political and legal commitment, scientific knowledge, careful development planning, application of Technology, law enforcement,' community participation, early warning systems and effective disaster preparedness and response mechanisms. There is a need to foster an enabling environment for developing a culture of prevention and to enable concerted measures to facilitate the integration of disaster management into developmental planning in various sectors. It is therefore desirable that the Central and State Governments, stakeholders in the field of disaster management and people representing different interests in the area should evolve a participatory process of decision making in disaster management, which will not only strengthen the disaster management structure and institutions all over the Country but will also enhance the federal structure of our polity.

2. The Government of India has accordingly decided to constitute a multi-stakeholder National Platform for Disaster Risk Reduction (NPDRR). A list of members of the National Platform is placed at Annexure-I.

3. The functions of the NPDRR shall be –

a) To review the progress made in the field of disaster management from time to time.

b) To appraise the extent and manner in which the Disaster Management Policy has been implemented by the Central and State Governments, and other concerned agencies, and to give appropriate advice in the matter.

c) To advise regarding coordination between the Central and State Governments/UT Administrations, State Governments, local Governments and civil society organisations for development of Disaster Risk Reduction.

d) To advise suo-moto or on a reference made by the Central Government or any State Government or a Union Territory Administration on any question pertaining to disaster management.

e) To review the Disaster Management Policy.

4. For the discharge of these functions, the Platform may

a) call for information and comments from any government institution, any other organization or an individual.

b) appoint committees or groups comprising members of the Platform and/or others as may be necessary, and

c) commission through the Central Government or any other agency, studies, research or reports on any specific issue requiring the attention of the Platform or its Committees or groups.

5. a) **TENURE:**

The tenure of platform shall be 5 years, with effect from the date of Notification of this Resolution.

b) **Casual Vacancies:**

(i) All casual vacancies among the members, other than ex-officio members shall be filled by the Authority or body which nominated or elected the members whose place falls vacant.

(ii) The person nominated or elected to a casual vacancy shall be a member of the Platform for the residue of the term for which the member whose place he fills would have been a member.

c) **MEETING:**

The Platform shall meet at least once every year and there shall not be a gap of more than two years between two consecutive meetings of the Platform.

d) **AGENDA:**

(i) The Agenda, the explanatory Memorandum and the Record of proceedings/Minutes of the meeting shall be prepared and circulated by the Ministry of Home Affairs (Disaster Management Division).

(ii) The Agenda and the explanatory Memorandum will ordinarily be circulated to all the members at least 10 days before the date of the Meeting of the Platform.

e) **PROCEDURE:**

The Platform will adopt its own procedures in respect of matters not provided for above.

f) **GENERAL:**

No proceedings of the Platform shall be invalid merely on the ground of any procedural defect or vacancy under any category of membership.

A. K. MANGOTRA, Secy.

ANNEXURE-I

Composition of the National Platform for Disaster Risk Reduction (NPDRR)

1. **Chairperson**

The Union Home Minister

2. **Vice Chairperson**

Vice-Chairman, National Disaster Management Authority

3. **Representatives of the Government of India**

i. Minister of Defence
ii. Minister of Finance
iii. Minister of External Affairs
iv. Minister of Agriculture
v. Minister of Human Resource Development
vi. Minister of Health & Family Welfare
vii. Minister of Urban Development
viii. Minister of Rural Development
ix. Minister of Environment & Forest
x. Minister of Water Resources
xi. Minister of Science & Technology
xii. Minister of Earth Sciences
xiii. Minister of Women & Child Development
xiv. Minister of Mines

xv. Minister of Panchayati Raj
xvi. Deputy Chairman, Planning Commission

4. Representatives of State Governments & Union Territories Administrations

Minister of each State Government /Union Territory dealing with the subject Disaster Management

5. Representatives of Local Self Governments

i. Mayors of Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai
ii. Five Chairpersons of Urban Local bodies (To be nominated by Ministry of Urban Development)
iii. Five representatives of Panchayat Raj Institutions (To be nominated by Ministry of Panchayat Raj)

6. Representatives from Parliament

i. Four members of Parliament from Lok Sabha (To be nominated by the Speaker)
ii. Two members of Parliament from Rajya Sabha (To be nominated by the Chairperson)

7. Ex-Officio Members

i. Union Home Secretary
ii. Secretary, Department of Atomic Energy
iii. Chairman, ISRO
iv. Chairman, UGC
v. Chairman, Railway Board
vi. Chairman, National Highways Authority of India (NHAI)
vii. Chairman, Central Water Commission
viii. Chairman, Insurance Regulatory & Development Authority
ix. Secretary, National Disaster Management Authority
x. Director General, NDRF & CD
xi. Director General, Civil Aviation
xii. Director General, Defence Research & Development Organization
xiii. DG, Indian Meteorological Department
xiv. DG, Geological Survey of India

8. Heads of Institutions of National Importance

i. Director, Wadia Institute of Himalayan Geology, Dehradun
ii. Director, GAIL Training Institute, Noida
iii. Director, Central Building Research Institute, Roorkee
iv. Director, National Centre for Oceanic Information Services, Hyderabad
v. Director, Centre for Snow and Avalanche Study Establishment, Chandigarh
vi. Director, National Fire Service College, Nagpur
vii. Director, National Civil Defence College, Nagpur
viii. Chief Controller of Explosive, Nagpur under Department of Industrial Policy & Promotion, New Delhi
ix. Executive Director, National Institute of Disaster Management, New Delhi
x. Executive Director, Building Materials and Technology Promotion Council

9. Persons representing industry

i. Director General, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industries, New Delhi.
ii. President, Confederation of Indian Industry, New Delhi.
iii. President, Associated Chamber of Commerce and Industry, New Delhi.

10. Media representatives

i. Chief Executive Officer, Prasar Bharti
ii. Principal Director General, Press Information Bureau
iii. Chairman, Press Trust of India
iv. Representative of Times of India
v. Representative of NDTV
vi. Representative of Hindustan

11. Representatives of Civil Society Organizations

i. Rama Krishna Mission, Kolkata
ii. Indian Red Cross Society, New Delhi
iii. SEEDS India, New Delhi
iv. Sphere India, New Delhi
v. Philanthrope, New Delhi

12. International Representatives

i. UN Resident Coordinator, New Delhi
ii. UNDP Country Director, New Delhi
iii. Representative of UNISDR
iv. Country Director, World Bank
v. Representative of Asian Development Bank

13. Any other special invitee with the permission of the Chair

14. Convenor
Secretary (Border Management), Ministry of Home Affairs

XXXXXXXXXXXXXXXX

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.